

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 09 / 104


दिनांक:- 3/3/09

- 1-संबंधित प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 2-संबंधित अधीक्षक,  
संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान

विषय:- एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध हेतु चयनित जीएनएम के पदस्थापन पर मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रोक लगाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध हेतु चयनित जीएनएम के पदस्थापन पर मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस0बी0सि0रि0पि0सं0-2264 / 09 लीना सैनी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक-2.3.09 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसकी तत्काल पालना किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संभावित अवमानना कार्यवाही से बचा जा सके।

संलग्न:-स्थगन आदेश दिनांक-2.3.09 की छायाप्रति


  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 09 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर

  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

2

S.B.Civil writ Petition No.2264/2009

Date of order : 02.03.2009

HON'BLE MR.JUSTICE PREM SHANKER ASOPA

Mr. Ram Pratap Saini for petitioners.

Issue notice to the respondents returnable within a week.

Meanwhile any appointments made on the post of Nurse Grade-II in pursuance to the advertisement dated 08.08.2007 (Annexure/1) shall remain stayed subject to the decision of the writ petition.

SD

(PREM SHANKAR ASOPA), J.

Gandhi  
139



पुत्री - ...  
प्रशासनिक प्रविष्टि ...  
प्राप्त. राज्य ...  
व्यक्ति